

# डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendlax 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक), चौहटन मुकाम चौहटन  
व इजलास कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.  
अनवान :-

वादीगण - 1.उमाराम पुत्र लिछमणाराम 2.अशोक पुत्र रायमलराम 3.मीरो पलिन रायमलराम  
(वादी सं. 2 अशोक ना.बा. की कुदरती बलिया माता वादी सं. 3)  
जाति जाट, निवासी लुम्बासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण -

1.जोगाराम 2.अर्जनराम पि.किशनाराम 3.रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम 4.जोगाराम 5.राजूराम  
पि. देरामाराम 6.टीकमाराम 7.सुरताराम पि.विस्थाराम 8.खेताराम पुत्र जोगाराम 9.मीरो पलिन  
जोगाराम 10.भंवराराम पुत्र गोर्धनराम 11.पूरो पलिन गोर्धनराम, जाति जाट, निवासी जैसार  
तहसील चौहटन, 12.शाखा प्रबन्धक पीएनबी शाखा गागरिया 13.तहसीलदार चौहटन

वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 60 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री जगदीश पोटलिया  
एड. मिनजानिब मुदाई व श्री प्रवीण चौधरीएड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है  
व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा जैसार के  
खेत खसरा सं. 203 रकबा 04.9210 हैक्टर का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरो की भूमि  
सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम  
किये जाते है। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज ..... मबलिंग .....  
..... बाबत ..... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना  
आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक ..... को अदा करे।  
वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.04.2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत.....  
असहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

रूपया	वे	मुदायलाह	फीसदी
अर्तीदाया स्ताम्य वकालतनामा स्ताम्य सबूत पदमनामा वकील खसरा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजलास हुक्मनामा मुतफरिक		स्ताम्य वकालतनामा स्ताम्य वकी महनताना वकील पर खसरा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजलास हुक्मनामा मुतफरिक	
मीजान		मीजान	

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फीसेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)	किस्म		
1	उमाराम पुत्र लिछमणाराम 1/2, अशोक पुत्र रायमलराम 1/4, मीरो पत्नि रायमलराम 1/4	जैसार	203	01.0936	बा.अ.	00.81	गुलाब
2	रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम, कौम जाट	जैसार	203	00.5468	बा.अ.	00.40	पीला
3	जोगाराम, राजूराम पि.देरामाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	जैसार	203	00.8201	बा.अ.	00.61	कलथई
4	टीकमाराम पुत्र विरधाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	जैसार	203	00.4100	बा.अ.	00.30	लाल
5	सुरताराम पुत्र विरधाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	जैसार	203	01.2303	बा.अ.	00.90	नीला
6	खेताराम पुत्र जोगाराम, मीरादेवी पत्नि जोगाराम, भंवराराम पुत्र गोरधनराम, पूरोंदेवी पत्नि गोरधनराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	जैसार	203	00.8202	बा.अ.	00.61	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्वा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(कुसुमलता चौहान)  
 सहायक कलेक्टर  
 (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर**

राजस्व वाद सं. 60/2023

पीठासीन अधिकारी - कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण -

1.उमाराम पुत्र लिछमणाराम 2.अशोक पुत्र रायमलराम 3.मीरो पत्नि रायमलराम  
(वादी सं. 2 अशोक ना.बा. की कुदरती वलिया माता वादी सं. 3)  
जाति जाट, निवासी लुम्बासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण -

बनाम

1.जोगाराम 2.अर्जनराम पि.किशनाराम 3.रामचन्द पुत्र प्रहलादराम 4.जोगाराम 5.राजूराम  
पि. देरामाराम 6.टीकमाराम 7.सुरताराम पि.विरधाराम 8.खेताराम पुत्र जोगाराम 9.मीरो पत्नि  
जोगाराम 10.भंवराराम पुत्र गोरधनराम 11.पूरो पत्नि गोरधनराम, जाति जाट, निवासी जैसार  
तहसील चौहटन, 12.शाखा प्रबन्धक पीएनबी शाखा गागरिया 13.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण -

वादीगण वकील -

श्री जगदीश पोटलिया

प्रतिवादीगण वकील -

श्री प्रवीण चौधरी (प्रतिवादी सं. 1 से 7, 9 से 11)

श्री जबरसिंह राठौड़ (प्रतिवादी सं. 8)

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

दिनांक :- 28.4.25




उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ताओं ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार चौहटन के मौजा जैसार के खेत खसरा सं. 203 रकबा

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

9210 हैक्टयर का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टयर में)	किरम	लगान	वरग
1	उमाराम पुत्र लिछमणाराम 1/2, अशोक पुत्र रायमलराम 1/4, मीरो पत्नि रायमलराम 1/4	जैसार	203	01.0936	बा.अ.	00.81	गुलाबी
2	रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम, कौम जाट	जैसार	203	00.5468	बा.अ.	00.40	पीला
3	जोगाराम, राजूराम पि.देरामाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	जैसार	203	00.8201	बा.अ.	00.61	कत्थई
4	टीकमाराम पुत्र विरधाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	जैसार	203	00.4100	बा.अ.	00.30	लाल
5	सुरताराम पुत्र विरधाराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	जैसार	203	01.2303	बा.अ.	00.90	नीला
6	खेताराम पुत्र जोगाराम, मीरादेवी पत्नि जोगाराम, भंवराराम पुत्र गोरधनराम, पूरोंदेवी पत्नि गोरधनराम, कौम जाट, सा.देह खातेदार	जैसार	203	00.8202	बा.अ.	00.61	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.4.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन